पत्रिकाओं में छपने योग्य नहीं

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील सं. 2793-98/2023

सचित कुमार सिंह व अन्य... आदि आदि।

... अपीलकर्तागण

बनाम

झारखंड राज्य और अन्य... आदि आदि।

...प्रतिवादीगण

निर्णय

एम.आर. शाह, न्याया.

1. मूल रिट याचिकाकर्ता- पुलिस उप-निरीक्षक पद के लिए आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों ने संबंधित लेटर पेटेंट अपीलों (एलपीए) में झारखंड उच्च न्यायालय, रांची की खंडपीठ द्वारा पारित उस आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर यह अपील दायर की है, जिसमें उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित सामान्य निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप नहीं करते हुए उनकी अपीलों को खारिज कर दिया है।

2. उत्तरदाता - झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (आयोग) के द्वारा विज्ञापन संख्या 09/2017 जारी करके पात्र अभ्यर्थियों से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से पुलिस उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। मूल विभाग से प्राप्त मांग-पत्र के आधार पर 1544 पद विज्ञापित किए गए थे, जिसपर आयोग को 3350 आवेदन प्राप्त हुए। इन अपीलकर्ताओं सहित कुल 3219 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा पास करने के लिए दोनों पेपरों (पेपर-2 और पेपर-3 में अलग-अलग) न्यूनतम 45% अंक और कुल मिलाकर 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य था। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में पांच प्रतिशत की छूट दी गई थी। परीक्षा ओएमआर आधार पर हुई थी। परीक्षा में शामिल कुल 3219 अभ्यर्थियों में से केवल 663 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त कर सके। मूल रिट याचिकाकर्ताओं (यहां अपीलकर्ता) सहित शेष अभ्यर्थी न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त नहीं कर पाने के कारण अपात्र घोषित किए गए। 399 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। तथापि, उसके बाद आयोजित शारीरिक एवं चिकित्सीय

जांच के आधार पर केवल 396 अभ्यर्थी ही अनुशंसा के पात्र पाये गये और नियुक्त किए गए।

2.1 मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने, जो न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने में एक या दो अंकों से पिछड़ गए थे, दिनांक 01.12.2017, 06.01.2018 और 08.01.2018 को अभ्यावेदन किया और मूल उत्तरों के खिलाफ आपत्तियां उठाई। उनके अनुसार, नौ प्रश्नों के मूल उत्तर गलत थे। उसके बाद, इन मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएँ दायर कीं कि उन्हें उचित राहत दी जाए या उन प्रश्नों को रद्द करने का निर्देश दिया जाए, जो पाठ्यक्रम से बाहर थे और/या जिनके मूल उत्तर गलत थे। उन्होंने विशेषज्ञ की राय प्राप्त करने की भी प्रार्थना की। रिट याचिकाओं का अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर विरोध किया गया कि उन्होंने आयोग द्वारा निर्धारित समय के भीतर यानी 01.12.2017 से 08.12.2017 तक कोई आपत्ति नहीं जताई गई। यह भी कहा गया कि यदि यह स्वीकार कर भी लें कि उन प्रश्नों के सभी उत्तर गलत छपे हैं, तो भी वे उत्तर सभी अभ्यर्थियों के लिए समान रूप से गलत हैं, इसलिए, मूल रिट याचिकाकर्ताओं/ अपीलकर्ताओं के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया गया है।

विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया।

2.2 रिट याचिकाओं को खारिज करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष वर्तमान लेटर पेटेंट अपील (एलपीए) दायर की। आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मुख्य रूप से इस आधार पर अपीलों को खारिज कर दिया है कि 01.12.2017 से 08.12.2017 की अवधि के बीच कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी जिसके भीतर अभ्यर्थियों को आपत्तियां, (यदि कोई हों) दर्ज करना आवश्यक था। और इसलिए, विशेषज्ञ की राय प्राप्त करने और/या पुनर्मूल्यांकन के लिए उनकी प्रार्थना को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने यह भी कहा कि भले ही उत्तरों में कुछ विसंगति हो, परंतु ऐसी विसंगति सभी अभ्यर्थियों के लिए है और इसलिए, मूल रिट याचिकाकर्ताओं के प्रति कोई भेदभाव नहीं माना जाएगा। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने यह भी कहा कि यदि रिट याचिकाकर्ताओं/ अपीलकर्ताओं के लिए ऐसे प्रश्नों के अंक जोड़े भी जाते हैं, तो वही अंक

अन्य अभ्यर्थियों को भी दिए जाएंगे और इस प्रकार, आज तक की उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चूंकि वे सभी अंतिम चयनित अभ्यर्थी से एक या दो अंक से पिछड़ गए थे और यदि एक या दो अंक उन्हें दिए जाएंगे तो वही सफल अभ्यर्थियों को भी प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार, सफल अभ्यर्थियों की तुलना में अपीलकर्ताओं की स्थिति वही रहेगी।

2.3 उच्च न्यायालय द्वारा लेटर पेटेंट अपीलों को खारिज करके पारित सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान अपीलें दायर की हैं।

3. श्री गोपाल शंकरनारायणन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता अपीलकर्ताओं (मूल रिट याचिकाकर्ता) की ओर से उपस्थित हुए हैं और श्री अनिल के. झा, विद्वान अधिवक्ता, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से उपस्थित हुए हैं और श्री जयंत मोहन, विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से उपस्थित हुए हैं।

4. श्री गोपाल शंकरनारायणन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने मूल रिट याचिकाकर्ताओं/अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित

होकर निवेदन किया है कि चूंकि पहला अभ्यावेदन मूल रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा 01.12.2017 को ही किया गया था जो आपत्तियां प्रस्तुत करने की समय सीमा के भीतर ही था, इसलिए उच्च न्यायालय ने इस आधार पर मूल रिट याचिकाकर्ताओं को शामिल न करके वास्तविक रूप में त्रुटि की है कि आपत्तियां उठाने के लिए निर्धारित समय के भीतर आपत्तियां नहीं उठाई गई।

4.1 यह भी निवेदन किया गया है कि उच्च न्यायालय ने भी इस बिंदु पर भी वास्तविक चूक की है कि यदि ऐसे प्रश्नों के अंक जोड़े भी जाएं, तो ये अंक सभी अभ्यर्थियों के लिए जोड़े जाएंगे और इसलिए, मूल रिट याचिकाकर्ताओं को कोई अंतर नहीं पड़ेगा। वास्तव में, मूल रिट याचिकाकर्ता केवल इसी आधार पर पात्र नहीं पाए गए कि वे न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त नहीं कर सके। चूंकि संबंधित मूल रिट याचिकाकर्ता न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने में केवल एक या दो अंकों से पिछड़ गए थे, अतः यदि केवल उन प्रश्नों के अंक जोड़ लिए गए होते, जिनके उत्तर गलत पाए गए थे, तो मूल रिट याचिकाकर्ता न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेते और तब, आगे की नियुक्ति प्रक्रिया में उनकी उम्मीदवारी पर विचार किया गया होता। उन्होंने आगे निवेदन किया है

कि इसलिए, उच्च न्यायालय ने यह कहने में भी वास्तविक रूप से त्रुटि की है कि अपीलकर्ताओं को ऐसे प्रश्नों के अंक जोड़े जाने से भी कोई फायदा नहीं होगा।

4.2 अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि विज्ञापित 1544 पदों में से केवल 396 नियुक्तियां की गई थीं और शेष पद रिक्त रह गए थे।

5. वर्तमान अपीलों का विरोध करते हुए, आयोग एवं राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से तर्क दिया है कि मूल रिट याचिकाकर्ता न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने में विफल रहे और इसलिए, वे अपात्र पाए गए। उन्होंने कहा कि चूंकि मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने आपत्तियां उठाने के लिए निर्धारित अवधि के बाद आपत्तियां प्रस्तुत कीं और इसलिए, उच्च न्यायालय ने मूल रिट याचिकाकर्ताओं को राहत नहीं दी, यह उचित ही है।

5.1 आगे निवेदन किया गया है कि उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा है कि भले ही कुछ प्रश्नों के उत्तर में कुछ विसंगतियां थीं, परंतु वे विसंगतियां सभी अभ्यर्थियों पर समान रूप से लागू थीं और इसलिए, यदि ऐसे प्रश्नों के अंक जोड़े भी

जाते, तो भी मूल रिट याचिकाकर्ताओं को कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि अन्य चयनित अभ्यर्थियों को भी उन जोड़े गए अंकों का लाभ मिलता।

5.2 उपरोक्त निवेदन करते हुए, उन्होंने वर्तमान अपीलों को खारिज करने की प्रार्थना की है।

6. सबसे पहले इस बात पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने पुलिस उप-निरीक्षक पद के लिए आवेदन किया था। उनकी उम्मीदवारी पर आगे की नियुक्ति प्रक्रिया में केवल इसलिए विचार नहीं किया गया कि वे न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त नहीं करने के कारण अपात्र हो गए थे। मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने नौ प्रश्नों पर आपत्ति जताई कि उन नौ प्रश्नों के उत्तर गलत थे। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मुख्य रूप से गुण-दोष के आधार पर आपत्तियों पर विचार करने से इनकार कर दिया है चूंकि आपत्ति प्रस्तुत करने की निर्धारित अवधि के बाद आपत्तियां प्रस्तुत की गईं थीं। उच्च न्यायालय ने कहा है कि आपत्तियां 06.01.2018 और 08.01.2018 को दायर की गई थीं, जबकि मूल रिट याचिकाकर्ताओं का मामला

यह है कि पहली आपत्ति 01.12.2017 को प्रस्तुत की गई थी, जिसकी प्रति रिकॉर्ड (एसएलपी पेपर बुक के पृष्ठ 235) में रखी है। इसलिए, उच्च न्यायालय को उन आपत्तियों पर गुण-दोष के आधार पर विचार करना चाहिए था और विशेषज्ञ की राय लेने पर विचार करना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने इस तरह से बहुत ज्यादा तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया है और गुण-दोष के आधार पर उक्त आपत्तियों पर विचार करने से इंकार कर दिया है। यहां ध्यान देने की आवश्यकता है कि भले ही आपत्तियां 06.01.2018 और 08.01.2018 को उठाई गईं, पर परिणाम की घोषणा की तारीख यानी 09.01.2018 से पहले ही उठाई गईं थीं। इसलिए, उच्च न्यायालय को गुण/दोष के आधार पर आपत्तियों पर विचार करना चाहिए था और/या नौ प्रश्नों पर विशेषज्ञ की राय लेनी चाहिए थी, जिनके उत्तर मूल रिट याचिकाकर्ताओं के अनुसार गलत थे। यदि सही उत्तरों और/या जिन नौ प्रश्नों के लिए आपत्तियां उठाई गई थीं, उनके उत्तरों पर यदि विशेषज्ञ की राय ली जाती तो सच सामने आ जाता।

7. इतना ही नहीं, उच्च न्यायालय ने यह कहने में भी वास्तविक चूक की है कि मूल रिट याचिकाकर्ताओं को

कोई लाभ नहीं होगा, भले ही ऐसे प्रश्नों के अंक जोड़ दिए जाएं, क्योंकि अन्य सफल अभ्यर्थियों के भी अंक जोड़े जाएंगे। तथापि यहां ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि चूंकि मूल रिट याचिकाकर्ता केवल एक या दो अंकों से न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने में पिछड़ गए। इसलिए, यदि कुछ अंक जोड़े गए होते तो वे न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेते और इस प्रकार वे आगे की नियुक्ति प्रक्रिया में विचार के पात्र रहे होते। अतः उच्च न्यायालय का यह कहना सही नहीं है कि मूल रिट याचिकाकर्ताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

8. उच्च न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर आपत्तियों पर विचार करने से इंकार कर दिया है चूंकि आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर आपत्तियां नहीं उठाई गईं और विशेषज्ञ की राय लेने से इनकार कर दिया है, इसलिए इस मामले को उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष इन अपीलों पर गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से विचार करने के लिए वापस भेजा जाता है। खंडपीठ उन प्रश्नों पर विशेषज्ञ की राय ले सकेगी, जिनके उत्तर गलत होने का आरोप लगाया गया था, और जिनपर आपत्तियां

थीं। यदि अंततः यह पाया जाता है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत थे तो अंक जोड़े जाएं ताकि वे नियुक्ति प्रक्रिया में विचार के पात्र हो सकें।

9. उपरोक्त के मद्देनजर और ऊपर बताए गए कारणों से, वर्तमान अपीलों में की गई प्रार्थना आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं। उच्च न्यायालय द्वारा लेटर्स पेटेंट अपीलों को खारिज करने के आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश को एतदद्वारा निरस्त और अपास्त किया जाता है। कानून के अनुसार, गुण/दोषों के आधार पर और ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में लेटर्स पेटेंट अपील पर पुन: निर्णय लिए जाने के लिए मामलों को उच्च न्यायालय की खंडपीठ को वापस भेजा जाता है। वापस भेजे गए लेटर्स पेटेंट अपीलों पर यथाशीघ्र निर्णय लिया जाए और प्राथमिक रूप से वर्तमान आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर इस मामले निपटाया जाए। जैसा कि ऊपर कहा गया है, उच्च न्यायालय की खंडपीठ के पास यह विकल्प होगा कि उक्त प्रश्नों के संबंध में विशेषज्ञ की राय मांगी जाए, जिनके उत्तर गलत होने का आरोप लगाया गया था और आपत्तियां उठाई गई थीं। तथापि इसे उच्च न्यायालय के विवेक पर

छोड़ा जाता है। तदनुसार, वर्तमान अपीलों में की गई प्रार्थना वर्तमान आदेश के अनुसार स्वीकार की जाती हैं। बिना खर्च के।

.....न्याया.

[एम.आर. शाह]

..... न्याया.

[सी.टी. रवि कुमार]

नयी दिल्ली;

अप्रैल 28, 2023

अस्वीकरण : हिन्दी भाषा में अनूदित निर्णय का उपयोग इतना ही है कि वादी इसे अपनी भाषा में समझ सके। इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक कार्यों में तथा निष्पादन और कार्यान्वयन के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।